



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्र: R-3769-PRR/14

प्रवण तिथि:

1. दशमतडल्ला पिता हमीदउल्ला
 2. बरकतउल्ला पिता हमीदउल्ला
 3. इनायतउल्ला पिता हमीदउल्ला
- स्त्री निवासी मोहल्ला खानका
 शहर तहसीलब-व जिला
 बुरहानपुर म.प्र.

-- याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1. मोतीउल्ला पिता हमीदउल्ला
 2. शमीउल्ला पिता हमीदउल्ला
 3. हिकमतउल्ला पिता अजीजउल्ला
- स्त्री निवासी मोहल्ला खानका
 शहर तह. व जिला बुरहानपुर
 म.प्र.

-- प्रत्यर्थीगण

पुनःरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

यह कि याचिकाकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील खंनार जिला बुरहानपुर के न्यायालय के समक्ष प्रथित प्रकरण क्र-5-अ/70 वर्ष 2013-14 पक्ष मोतीडल्ला विरुद्ध शमीउल्ला के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयके समक्ष प्रत्यर्थी क्र -1 द्वारा याचिकाकर्तागणों सहित प्रत्यर्थी-क्र -2 व 3 के विरुद्ध एक प्रकरण धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता का प्रस्तुत किया गया है जिसका राजस्व प्रकरण क्र-05-अ-70/13-14 है।
2. यह कि उक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागणों को नोटिस प्राप्त होने पर वे तहसीलदार महोदय खंनार के समक्ष उपस्थित हुवे जिसे पश्चात उन्हे प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रक्रिया प्राप्त की गयी ।

श्री. सुभा (215)
13/11/14
13-11-14

21/11/14
12/11/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगम 3769-पीबीआर/2014

जिला - बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-12-2014	<p>आवेदक की ओर से श्री जीतेन्द्र बुगीवाला एवं श्री टी०टी० गुप्ता अभिभाषक उपस्थित नहीं। एक अन्य अभिभाषक श्री लोकेश दीक्षित द्वारा स्वयं को उक्त अभिभाषकों का जूनियर बताते हुये ग्राह्यता पर तर्क हेतु पुनः समय की मांग की गई, परन्तु समय लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता अभिभाषक को विगत पेशी पर ग्राह्यता पर तर्क हेतु समय दिया गया था, परन्तु आज दिनांक को तर्क हेतु उपस्थित नहीं एवं न ही उनके द्वारा अनुपस्थिति का कोई आधार बताया है। इससे प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता इस प्रकरण की सुनवाई हेतु गंभीर नहीं है। अतः अब तर्क हेतु समय नहीं देते हुये निगरानी मेमो एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार प्रकरण के ग्राह्यता पर विचार किया जा रहा है।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 52 का आवेदन पेश किया गया, जिसपर तहसील न्यायालय द्वारा दोनों</p>	<p>का</p>

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रकृति प्राप्त की गयी।

[कृ. प. उ.]

5-अ-70/13-14

स प्राप्त होने के पश्चात उन्हें

पक्षों को सुनवाई के पश्चात आवेदक का धारा 52 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण आवेदक के जबाब हेतु नियत किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण आवेदक के तर्क हेतु नियत किया है, जहां उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा० मधु खरे)
सदस्य